राजस्थान सरकार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि–1/प्राशि/2003/पार्ट–1 जयपुर दिनांकः E 2 FEB 2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल –।। (NON TSP AREA) के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउंसलिंग कैंप (परामर्श शिविर) का कलैंडर जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा दिनांक 25.01.2018 को राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल–।। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) की कटऑफ मार्क्स जारी किये जाकर नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन हेतु दिनांक 30.01.2018 एवं 02.02.2018 को जिले आवंटित किये गये हैं।

अतः उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही इस विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 31.01.2017 (प्रति संलग्न) के अनुसार जिला स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नांकित कलैण्डर जारी किया जाता है।

क.सं.	विवरण	दिनांक
1	आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित किये जाने से पूर्व शाला दर्शन पोर्टल अपडेट कराना तथा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा मेरिट लिस्ट से प्राप्त नवचयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर पदस्थापन हेतु उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करना।	**15.02.2018 तक**
2	संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा नवचयनित पदस्थापन हेतु उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची (Final list) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना।	**17.02.2018**
3	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार शाला दर्शन पोर्टल पर जिले की लॉगइन पर उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार काउंसलिंग हेतु रिक्त पदों को अपलोड करना।	**20.02.2018**
4	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाना।	**21.02.2018**
5	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग कैंपों (परामर्श शिविर) का आयोजन।	**23 व 24 फरवरी, 2018**
6	31.1.2017 को जारी विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करना	**27.02.2018 तक**

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

भवदीय,

2/2/18

(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. संबंधित जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा– संबंधित ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा– संबंधित ।
10. विकास अधिकारी, सम्बन्धित पंचायत समिति।
11. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

शासन उप सचिव